स्वच्छ हमीरपुर • स्वस्थ हमीरपुर

स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर

आज़ादी का अमृत महोत्सव

स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण

खुले में शौच मुक्त गांव, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण हमीरपुर (हि० प्र०)

गांव को ODF-PLUS बनाने के लिये निम्नलिखित नियम व शर्तों का पालन करें।

- गांव के सभी परिवार, साथ ही साथ स्कूल, आंगनवाडी केंद्र, पंचायत घर व अन्य सरकारी व निजी संस्थानों में शौचालय व्यवस्था व उपयोग अनिवार्य है।

- गांव में कम से कम 80% प्रतिशत घरों में, तथा सभी सार्वजनिक स्थानों (जैसेः- स्कूल, आंगनवाडी केंद्र, पंचायत घर व अन्य सरकारी व निजी संस्थान) में ठोस कचरा प्रबधन की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। गांव में प्लास्टिक कचरा प्रब्धन, सामुदायिक व व्यक्तिगत कम्पोस्ट पिट तथापशुओं के मल-मूत्र के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए।

- गांव में कम से कम 80% घरों में, तथा सभी सार्वजनिक स्थानों (जैसेः- स्कूल, आंगनवाडी केंद्र, पंचायत घर व अन्य सरकारी व निजी संस्थान) में गंदें पानी की उचित व्यवस्था व निपटान होना चाहिये।गांव में गन्दें पानी के प्रब्धन के लिये व्यक्तिगत सोखता पिट, नालियां व सामुदायिक सोखता पिटों की उचित व्यवस्था व उपयोग होना चाहिये।

- मेरा गांव व घर दिखने में सुंदर व स्वच्छ लगें जिसके लिये घर व गांव के आस पास व सार्वजनिक स्थानों में कूड़ा-कचरा/प्लास्टिक कचरा व गतिहीन गंदा पानी न दिखाई दे।

- गांव में स्वच्छता के प्रचार व प्रसार के लिये कम से कम पांच स्वच्छता संदेशों का प्रदर्शन गांव की दिवारों पर होना चाहिये (जैसेः- खुला शौच मुक्त की स्थिति को बरकरार रखने के लिये संदेश, हाथ धोने का संदेश,मासिक धर्म स्वच्छता, दो गडडों वाले शौचालय का संदेश,व्यक्तिगत स्वच्छता, प्राकृतिक जल स्त्रोतों की साफ-सफाई व्यवस्था का संदेश, ठोस व तरल कचरा प्रबंधन का संदेश, प्लास्टिक कचरा प्रबन्धन का संदेश व अन्य)

आओ मिलकर कसम खायें अपने गांव को ODF-PLUS बनाये तथा गांव /पंचायत की शान बढ़ाये

स्वच्छ हिमाचल - स्वस्थ हिमाचल

उपायुक्त एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण हमीरपुर (हि० प्र०)
व सम्बधित खण्ड विकास अधिकारी, जिला- हमीरपुर (हि०प्र०)
फोनः-01972-221407

Visual Advt#86268-40518